# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 8 / 2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पूनम चन्द जैन, निवासी अमृत कलश, न्यू कॉलोनी, लालसोट, मैसर्स सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट विक्रेता।
2. सीताराम बडाया पुत्र श्री छोटीलाल लकडा दुकान नं0 407—408, घाटगेट बाजार, रामगंज, जयपुर। मैसर्सः—छोटीलाल लकडा दुकान नं0 407 से 411 रामगंज अनाज मण्डी, जयपुर निर्माता।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 22.11.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 2.12.2015 को दोपहर बाद 2:30 बजे मैसर्स सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पूनम चन्द जैन उम्र 55 वर्ष निवासी अमृत कलश न्यू कॉलोनी लालसोट मैसर्स सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में प्लास्टिक के कट्टे में 30 पॉलीपैक 500 ग्राम वजनी के बेसन (लकडाजी) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से (4 मूल सील्ड पॉलीपैक X 500 ग्राम ) बेसन (लकडाजी) नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 148 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। जो संलग्न है।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि खरीदशुदा बेसन (लकडाजी) के पॉलीपैक को चार अलग–अलग मोटे कागज के डिब्बों में रखकर लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर बेसन (लकडाजी) के पॉलीपैक पर चिपकाकर कागज के डिब्बों को बंद कर अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1294 गोंद से उपर से नीचे चिपकाकर एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से सील चपडी उपर नीचे व दोनों साइडो से सील मोहर कर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये करवाकर स्वयं व गवाहान ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 3.12.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 3.12.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 4.12.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (लकडाजी) खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./4095/एक्ट/2015/546 दिनांक 10.2.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (लकडाजी) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस की गई। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (लकडाजी) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (लकडाजी) का नमूना मिसब्राण्ड होना बताया गया है, जो सही नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (लकडाजी) की पैकिंग पर सभी

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अपेक्षित जानकारी अंकित की हुई है। अतः प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में **Printed on polybag no preservatives used. Misleading as No preservative is permitted Regulation No. 2.3.1(5) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011** अंकित करते हुये उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (लकडाजी) का नमूना मिसब्राण्ड होना बताया गया है, जो एफएसएसए नियम 2006 सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4095/एक्ट/2015/546 दिनांक 10.2.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (लकडाजी) का नमूना **Regulation No. 2.3.1(5) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011** के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है, जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं सपठित नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी (अभियुक्तगण) द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन (लकडाजी) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किये जाने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अभियुक्त सं0 1 श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पूनम चन्द जैन निवासी अमृत कलश, न्यू कॉलोनी, लालसोट, मैसर्स सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट विक्रेता पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार) रूपये एवं अभियुक्त सं0 2 सीताराम बडाया पुत्र श्री छोटीलाल लकडा दुकान नं0 407–408, घाटगेट बाजार, रामगंज, जयपुर। मैसर्सः–छोटीलाल लकडा दुकान नं0 407 से 411 रामगंज अनाज मण्डी, जयपुर निर्माता पर 15000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये ) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 22.11.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दिनांकः– 22.11.2017

क्रमांक/
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पूनम चन्द जैन, निवासी अमृत कलेश, न्यू कॉलोनी, लालसोट, मैसर्स सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट विक्रेता।
4. श्री सीताराम बडाया पुत्र श्री छोटीलाल लकडा दुकान नं0 407–408, घाटगेट बाजार, रामगंज, जयपुर। मैसर्सः–छोटीलाल लकडा दुकान नं0 407 से 411 रामगंज अनाज मण्डी, जयपुर निर्माता।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा